



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-05052026-272261
CG-DL-E-05052026-272261

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2123]

नई दिल्ली, मंगलवार, मई 5, 2026/वैशाख 15, 1948

No. 2123]

NEW DELHI, TUESDAY, MAY 5, 2026/VAISAKHA 15, 1948

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 मई, 2026

का.आ. 2210(अ).— केन्द्रीय सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 88) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 क की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात कि महाराष्ट्र राज्य के पुणे जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या संख्या 588 डी जो कि जंक्शन एन.एच. 88 (पुराना एन. एच.-8) से प्रारंभ होकर तलेगाव- चाकण- शिक्रापूर- न्हावरा मार्ग तक कि.मी. 58+000 से 62+120 (शिक्रापूर-न्हावरा खण्ड) डिजाईन लम्बाई 28.120 कि.मी. तक के निर्माण (पेव्ड शोल्डर के साथ चौड़ीकरण, दो लेन का बनाने, आदि), का निर्माण एवं पुनःसरेखन, अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिये वह भूमि अपेक्षित है, जिसका संश्लेष वर्णन नीचे अनुसूची में दिया गया है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है;

कोई व्यक्ति, जो उक्त भूमि में हितबद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उपधारा (1) के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर आक्षेप कर सकेगा;

ऐसा प्रत्येक आक्षेप सक्षम प्राधिकारी अर्थात् उपजिल्हाअधिकारी भूसंपादन क्र.17 जिल्हाधिकारी कार्यालय पुणे को लिखित रूप में किया जाएगा और उसमें उसके आधार अधिकथित किए जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी, आक्षेपकर्ता को व्यक्तिगत रूप में या किसी विधी व्यवसायी द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसे आक्षेपों की सुनवाई के पश्चात तथा ऐसी और जाचं

करने के पश्चात यदि कोई हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आक्षेपो को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा;

उक्त अधिनियम की धारा ३ ग की उपधारा (२) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई आदेश अंतिम होगा ; और इस अधिसूचना के अंतर्गत अने वाली के भूमि के रेखांक और अन्य व्योरे सक्षम प्राधिकारी के उक्त कार्यालय में उपलब्ध है और उनका हितबद्ध व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है ।

अनुसूची

महाराष्ट्र राज्य के पुणे जिले मे राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या ५४८ डी जो कि जंक्शन एन.एच. ४८ (पुराना एन. एच-४) से प्रारंभ होकर तलेगाव -चाकण-शिक्रापूर-न्हावरा मार्ग तक कि.मी ५४+००० से ८२+१२० (शिक्रापूर -न्हावरा खण्ड) लम्बाई २८.१२० कि.मी.पर भूमि का अर्जन.

राज्य का नाम: महाराष्ट्र			जिले का नाम: पुणे		
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (स्थानीय इकाई)	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
1	2	3	4	5	6
तालुक का नाम: शिरूर					
गांव का नाम: कासारी					
1	597	निजी	सिंचित	0.0446 (हेक्टेयर)	0.0446
2	598	निजी	असिंचित	0.0043 (हेक्टेयर)	0.0043
3	599	सरकारी	असिंचित	0.003 (हेक्टेयर)	0.003
4	600	निजी	असिंचित	0.0027 (हेक्टेयर)	0.0027
5	601	निजी	असिंचित	0.0066 (हेक्टेयर)	0.0066
6	602	निजी	सिंचित	0.0179 (हेक्टेयर)	0.0179
7	603	निजी	असिंचित	0.0097 (हेक्टेयर)	0.0097
8	627	निजी	सिंचित	0.002 (हेक्टेयर)	0.002
9	628	निजी	सिंचित	0.0381 (हेक्टेयर)	0.0381
10	630	निजी	असिंचित	0.0124 (हेक्टेयर)	0.0124
11	653	निजी	असिंचित	0.0083 (हेक्टेयर)	0.0083
12	654	निजी	असिंचित	0.0145 (हेक्टेयर)	0.0145
गांव का नाम: शिक्रापूर					
13	1285	निजी	असिंचित	0.0134 (हेक्टेयर)	0.0134
14	1293	निजी	सिंचित	0.0029 (हेक्टेयर)	0.0029
15	1294	निजी	असिंचित	0.0074 (हेक्टेयर)	0.0074

16	1295	निजी	असिंचित	0.0015 (हेक्टेयर)	0.0015
17	1305	निजी	असिंचित	0.0005 (हेक्टेयर)	0.0005
18	1307	निजी	असिंचित	0.0003 (हेक्टेयर)	0.0003
19	1309	निजी	असिंचित	0.0033 (हेक्टेयर)	0.0033
20	1310	निजी	असिंचित	0.0189 (हेक्टेयर)	0.0189
21	1311	निजी	असिंचित	0.0042 (हेक्टेयर)	0.0042
22	1312	निजी	असिंचित	0.0022 (हेक्टेयर)	0.0022
23	1313	निजी	असिंचित	0.007 (हेक्टेयर)	0.007
24	1315	निजी	असिंचित	0.0038 (हेक्टेयर)	0.0038
25	1330	निजी	सिंचित	0.0064 (हेक्टेयर)	0.0064
26	1332	निजी	असिंचित	0.0015 (हेक्टेयर)	0.0015
27	1333	निजी	सिंचित	0.0003 (हेक्टेयर)	0.0003
28	1334	निजी	सिंचित	0.0013 (हेक्टेयर)	0.0013
29	2019	निजी	असिंचित	0.01 (हेक्टेयर)	0.01
30	2020	निजी	असिंचित	0.0185 (हेक्टेयर)	0.0185
31	2022	निजी	असिंचित	0.0035 (हेक्टेयर)	0.0035
32	2023	निजी	असिंचित	0.0029 (हेक्टेयर)	0.0029
33	2024	निजी	असिंचित	0.0027 (हेक्टेयर)	0.0027
34	2027	निजी	असिंचित	0.0284 (हेक्टेयर)	0.0284
35	2028	निजी	असिंचित	0.0337 (हेक्टेयर)	0.0337
36	2029	निजी	असिंचित	0.0088 (हेक्टेयर)	0.0088
37	2033	निजी	असिंचित	0.0584 (हेक्टेयर)	0.0584
Total					0.4059

[फा. सं. RO/MUM/NH(O)/2023-24/54/3A]

शेख अमीनखान, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 5th May, 2026

S.O. 2210(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which is given in the Schedule below, is required for building (widening /two lane with Paved Shoulder etc.), maintenance, management and operation of Road of NH-48 (old NH-4) near Talegaon – Chakan- Shikrapur- Nhavara Section of NH-548D km. 54/00 to 82/120 (Shikrapur to Nhavara Section) Design Length- 28.120 km Configuration in Pune District in the state of Maharashtra, hereby declares its intention to acquire such land.

Any person interested in the said land may, within twenty-one days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, objections to the use of such land for the aforesaid purpose under sub-section(1) of section 3C of the said Act.

Every such objection shall be made to the Competent Authority, namely, Deputy Collector Land Acquisition No.17 Collector Office District Pune in writing and shall set out the grounds thereof and the Competent Authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by a legal practitioner, and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the Competent Authority thinks necessary, by order, either Allow or disallow the objections.

Any order made by the competent authority under sub-section(2) of section 3C of the said Act shall be final.

The land plans and other details of the land covered under this notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the competent authority.

SCHEDULE

Brief description of the Land Acquisition on Road of NH-48 (Old NH-4) NEAR Talegaon- Chakan – Shikrapur – Nhavara Section of NH-548D km. 54/00 to 82/120 (Shikrapur to Nhavara Section) Design Length -28.120 km in Pune District in the state of Maharashtra.

State: MAHARASHTRA			District: PUNE		
Sl. No.	Survey/Plot Number	Type of Land	Nature of Land	Area (in Local Unit)	Area (in Hectares)
1	2	3	4	5	6
Taluk: Shirur					
Village: Kasari					
1	597	Private	Irrigated	0.0446 (Hectare)	0.0446
2	598	Private	unirrigated	0.0043 (Hectare)	0.0043
3	599	Government	unirrigated	0.003 (Hectare)	0.003
4	600	Private	unirrigated	0.0027 (Hectare)	0.0027
5	601	Private	unirrigated	0.0066 (Hectare)	0.0066
6	602	Private	Irrigated	0.0179 (Hectare)	0.0179
7	603	Private	Unirrigated	0.0097 (Hectare)	0.0097
8	627	Private	Irrigated	0.002 (Hectare)	0.002
9	628	Private	Irrigated	0.0381 (Hectare)	0.0381
10	630	Private	unirrigated	0.0124 (Hectare)	0.0124
11	653	Private	unirrigated	0.0083 (Hectare)	0.0083
12	654	Private	unirrigated	0.0145 (Hectare)	0.0145
Village: Shikrapur					
13	1285	Private	unirrigated	0.0134 (Hectare)	0.0134
14	1293	Private	irrigated	0.0029 (Hectare)	0.0029
15	1294	Private	unirrigated	0.0074 (Hectare)	0.0074
16	1295	Private	unirrigated	0.0015 (Hectare)	0.0015

17	1305	Private	Unirrigated	0.0005 (Hectare)	0.0005
18	1307	Private	Unirrigated	0.0003 (Hectare)	0.0003
19	1309	Private	unirrigated	0.0033 (Hectare)	0.0033
20	1310	Private	unirrigated	0.0189 (Hectare)	0.0189
21	1311	Private	unirrigated	0.0042 (Hectare)	0.0042
22	1312	Private	unirrigated	0.0022 (Hectare)	0.0022
23	1313	Private	unirrigated	0.007 (Hectare)	0.007
24	1315	Private	unirrigated	0.0038 (Hectare)	0.0038
25	1330	Private	irrigated	0.0064 (Hectare)	0.0064
26	1332	Private	unirrigated	0.0015 (Hectare)	0.0015
27	1333	Private	irrigated	0.0003 (Hectare)	0.0003
28	1334	Private	irrigated	0.0013 (Hectare)	0.0013
29	2019	Private	unirrigated	0.01 (Hectare)	0.01
30	2020	Private	unirrigated	0.0185 (Hectare)	0.0185
31	2022	Private	unirrigated	0.0035 (Hectare)	0.0035
32	2023	Private	unirrigated	0.0029 (Hectare)	0.0029
33	2024	Private	unirrigated	0.0027 (Hectare)	0.0027
34	2027	Private	unirrigated	0.0284 (Hectare)	0.0284
35	2028	Private	unirrigated	0.0337 (Hectare)	0.0337
36	2029	Private	unirrigated	0.0088 (Hectare)	0.0088
37	2033	Private	unirrigated	0.0584 (Hectare)	0.0584
Total					0.4059

[F. No. RO/MUM/NH(O)/2023-24/54/3A]

SHAIKH AMINKHAN, Director